राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,जयपुर–302017
दूरभाष: 0141–2709846, E-mail: rcse.ict@gmail.com

क्रमांक : रामाशिप/जय/Dig.Lit/Click/F-945/2018/3063 दिनांकः 04/07/2018

जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि.) एवं पदेन
जिला परियोजना समन्वयक,
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान,
समस्त जिले।

विषय :– नवीन शैक्षणिक सत्र 2018–19 से विद्यालयों में संचालित *'CLICK'* योजना के क्रियान्वयन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा डिजिटल लिटरेसी कार्यक्रम अंतर्गत विद्यार्थियों में कौशल विकास हेतु कम्प्यूटर कौशल प्रशिक्षण की स्ववित्तपोषित योजना ***'CLICK ' (Computer Literacy Initiative for Comprehensive Knowledge)*** को आगामी शैक्षणिक सत्र 2018–19 से संचालित किये जाने हेतु दिशानिर्देश निम्नानुसार है :–

1. पिछले सत्र 2017–18 में विद्यालय स्तर पर क्लिक योजना का संचालन आर.के.सी. एल. के अधिकृत ITGK व विद्यालय एस.डी.एम.सी. के मध्य एम.ओ.यू. कर योजना संचालित की गई थी, इस योजना को एस.डी.एम.सी. एवं ITGK की सहमति से पुनः एक वर्ष हेतु बढ़ाया जा सकता है।
2. सत्र 2018–19 में क्लिक योजना समस्त आईसीटी लैब युक्त विद्यालयों में आवश्यक रूप से संचालित की जानी है, इसके लिए निकटवर्ती आर.के.सी.एल. से मान्यता प्राप्त ITGK से यथा शीघ्र एम.ओ.यू. किया जावे एवं राजकीय माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में कक्षा 6 से 10 तक अध्ययनरत ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन करवाया जावे।
3. जिला निष्पादन समिति जिला स्तर पर 'क्लिक' योजना के प्रचार प्रसार, संबलन, मॉनिटरिंग व प्रगति की समीक्षा का दायित्व निर्वहन करेगी।
4. योजना में पंजीकृत विद्यार्थियों द्वारा पाठ्यक्रम पूर्ण करने तथा पूर्ण शुल्क का भुगतान करने वाले विद्यार्थियों को RKCL द्वारा तत्काल प्रमाण पत्र जारी किये जाने संबंधित निर्देश पूर्व में बैठक दिनांक 25.06.2018 को प्रदान कर दिये गये है।
5. जिन विद्यार्थियों ने पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया है, किन्तु पाठ्यक्रम शुल्क विद्यालय में जमा नहीं करवाया है। उन विद्यार्थियों को शुल्क जमा कराने हेतु 15 दिवस का अन्तिम समय दिया जावें।
6. इस योजना के सफल क्रियान्वयन से अधिकतम विद्यार्थियों को लाभान्वित करने के लिए प्रभावी संबलन मॉनिटरिंग करते हुए प्रवेशोत्सव सत्र 2018–19 में क्लिक योजना के संबंध में PTA/PTM में अभिभावकों/विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम से होने वाले लाभ के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार अवगत करवाकर विद्यालयों को रजिस्ट्रेशन हेतु निर्देश प्रदान किये जावें।
7. नवीन शैक्षणिक सत्र 2018–19 के लिए विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन 30 सितम्बर 2018 तक करवाया जावें। इस हेतु पूर्व में अनुबन्धित आईटी ज्ञान केन्द्र से सेवाए सन्तुष्ट होने पर MOU का extension किया जा सकता है। ज्ञान केन्द्र की सेवाए सन्तुष्ट नही

होने की स्थिति में अन्य आरकेसीएल अधिकृत आईटी ज्ञान केन्द्र से एमओयू किया जा सकता है।

8. राज्य के भौगोलिक विभाजन को देखते हुये योजना के बेहतर क्रियान्वयन हेतु जिले के सीमान्तर क्षेत्र मे स्थिति विद्यालयो में सीमान्तर क्षेत्र से जुड़े जिले के ज्ञान केन्द्र उस क्षेत्र के विद्यालयो के साथ अनुबंध कर सकते है। इस अनुबंध की स्वीकृति RKCL के द्वारा विवचेना करने के पश्चात दी जावेगी।
9. पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क जो बालको/अभिभावकों द्वारा विद्यालय में जमा करवा दी गई है। इस शुल्क को तत्काल सेवाप्रदाता एजेन्सी को नियमानुसार भुगतान किया जावें।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/अति. जिला परियोजना समन्वयक एवं कार्यक्रम अधिकारी (आईसीटी) द्वारा जिला स्तर पर योजना की प्रगति एवं सफल संचालन हेतु मानिटरिंग का कार्य किया जावेगा।
11. योजना का प्रारम्भ सत्र के किसी भी माह में प्रारम्भ होने के पश्चात संस्थान को विद्यार्थियों का पूर्ण पाठ्यक्रम कराना अनिवार्य है।
12. नवीन सत्र 2018–19 हेतु पाठ्यक्रम हेतु संचालित की जाने वाली कक्षाओं की समय सारणी का निर्माण विद्यालय स्तर पर किया जावेगा।

(शिवांगी स्वर्णकार)
राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक : रामाशिप/जय/Dig.Lit/Click/F-945/2018/3063 दिनांक: 04/07/2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा अभियान, बीकानेर।
3. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, रा.मा.शि.अ., जयपुर।
4. उपायुक्त (तृतीय), रा.मा.शि.प., जयपुर।
5. एडीपीसी रमसा समस्त जिले।
6. समस्त संस्था प्रधान, राउमावि/रामावि/मॉडल विद्यालय।
7. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक